रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना

प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 1007/26–2–2012–पें0यो0 (830)/12 दिनांक 09 जुलाई, 2012 के माध्यम से रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ऐसे परिवार, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं एवं जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अन्त्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना तथा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नही हो रहा है, को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। गरीबी रेखा के सम्बन्ध में औसत 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेष के ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 19884/– प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रू0 25546/– प्रति परिवार प्रति वर्ष की अधिकतम आय सीमा निर्धारित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार को रू0 400/– प्रति माह की दर से दो छमाही किष्तों में पेंशन की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है। लाभार्थी द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खाता खोलकर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

योजना में धनराशि का हस्तान्तरण ई–पेमेंट प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के 2511407 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया :–

- योजना में लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण कराया जाता है एवं सर्वेक्षण प्रपत्र में उल्लिखित मानकों के आधार पर अंक दिये जाते है। तत्पश्चात 16 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को पात्रता श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद (जनपद की मेजा तहसील), कौशाम्बी, मिर्जापुर, चन्दौली, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर तथा झांसी जनपद में भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए वरीयता मानक अंक 14 निर्धारित है।
- सर्वेक्षण मानकों के आधार पर तैयार सूची के अनुसार लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा/वार्ड की खुली बैठक में उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाता है।
- योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उददेश्य से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में माह मई एवं जून में कराया जाता है। सत्यापनोपरान्त चिन्हित मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन किया जाता है।